

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या : 73/2025

सरकार बनाम ताहिर आदि।

आरोप

मैं दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा जिला बुलन्दशहर आप अभियुक्तगण ताहिर, दिलावर, नसीम, अकरम, सोनू व कासिम पर निम्न आरोप लगाता हूँ:-

1. यह कि दिनांक 12.02.2025 को समय अदम तहरीर, स्थान ग्राम इब्राहीमपुर के जंगल में अन्तर्गत थाना क्षेत्र जहाँगीरपुर जिला बुलन्दशहर में आप अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर वादी नैपाल सिंह के खेत के ट्यूबवैल की मोटर के तार की बेईमानीपूर्वक चोरी की। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023** की **धारा 303(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
2. यह कि दिनांक 20.02.2025 को समय रात्रि 11:37 बजे स्थान ग्राम शाहपुर-पिसावा रोड पर, गोठनी गांव के निकट अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े गये कार सवार आप अभियुक्तगण ने पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि यह तांबे के तार हमने एक साथ मिलकर चोरी किये है। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, बेइमानी से प्राप्त किया गया। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023** की **धारा 317(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।
3. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण के द्वारा एक समूह या टोली का सदस्य होते हुए संगठन बनाकर संयुक्त रूप से तांबे के तारों की चोरी की गयी। इस प्रकार आपने **भारतीय न्याय संहिता 2023** की **धारा 112(2)** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है उक्त आरोप में आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक: 28.02.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

आरोप को पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया व विचारण की मांग की।

दिनांक: 28.02.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।

सत्र वाद संख्या : 72/2025

सरकार बनाम ताहिर आदि।

अपराध संख्या :143 सन् 2025

धारा :303(2), 317(2), 112 बी.एन.एस.

थाना : खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर ।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्तगण ताहिर, सोनू, दिलावर, अकरम व कासिम उपस्थित आये तथा अभियुक्त नसीम जिला कारागार से उपस्थित आया।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्तगण पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 112 बी.एन.एस. का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तदनुसार अभियुक्तगण ताहिर, सोनू, दिलावर, अकरम, नसीम व कासिम पर जुर्म अन्तर्गत धारा 303(2), 317(2), 112 बी.एन.एस. का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक 20.03.2026 को पेश हो।

दिनांक: 28.02.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)